माननीय न्यायमूर्तिआशुतोष मोहनता और टी.पी.एस. मान के समक्ष

वेद प्रकाश — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — उत्तरदाता

CWR नंबर 6155 / 2004

21 अगस्त, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—एक छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल के खिलाफ अवैध परितोषण की मांग करने और स्वीकार करने का आरोप–आपराधिक कार्यवाही शुरू की गयी–क्या आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप देने तक विभागीय कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए–निश्चित, नहीं–याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं केवल इसलिए कि उसे विभागीय में उन तथ्यों का खुलासा करना पड़ सकता है पूछताछ जिसका वह आपराधिक न्यायालय के समक्ष खुलासा करना चाहेगा - दोनों कार्यवाही में सबूत का मानक पूरी तरह से अलग है - याचिका खारिज कर दी गई।

हेल्ड, आपराधिक प्रकृति के एक मामले में जहां याचिकाकर्ता को अवैध परितोषण की मांग करते हुए और प्राप्त करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद उसे उससे बरामद कर लिया गया है, यह निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है कि याचिकाकर्ता की रक्षा केवल इसलिए पूर्वाग्रहग्रस्त होने की संभावना है क्योंकि उसने ऐसा किया होगा। विभागीय जांच में उन तथ्यों का खुलासा करना, जिन्हें वह आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रकट करना चाहे। इसी प्रकार, कदाचार का आरोप भी साबित किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए अपने बचाव का खुलासा करना आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा, किसी भी मामले में, विभागीय और आपराधिक दोनों कार्यवाही में सबूत का मानक पूरी तरह से अलग है। (पैरा 7)

अनुशासनात्मक कार्यवाही पर स्वाभाविक रूप से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। आपराधिक न्यायालय के समक्ष अपराधी अधिकारी के बचाव में पूर्वाग्रह केवल एक कारक है। यह भी आवश्यक होगा कि आरोप समान हों और मामले में कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हों (पैरा 10)

याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. मान।

उत्तरदाताओं की ओर से हरीश राठी, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा।

माननीय न्यायमूर्ति टी.पी.एस. मान

(1) याचिकाकर्ता, जो एक छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल था और सी.आई. ए-1, अंबाला के कार्यालय में तैनात था, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, 1 अक्टूबर, 2006 के आरोप पत्र को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है (अनुलग्नक पी-1)। एक परमादेश रिट जारी करने के लिए भी प्रार्थना की गई है, जिसमें उत्तरदाताओं को उसे सेवा में बहाल करने और सभी परिणामी राहतें देने का निर्देश दिया जाए।

(2) मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 12 अप्रैल, 1989 को एक कांस्टेबल के रूप में हरियाणा पुलिस में शामिल हुआ था। 15 साल की सेवा के बाद जुलाई, 2005 में उसे छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। 22 सितंबर, 2006 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला शहर में एफआईआर नंबर 58 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को उक्त एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था और 26 सितंबर, 2006 को पुलिस अधीक्षक, अंबाला द्वारा पारित एक आदेश द्वारा 22 सितंबर, 2006 से निलंबित कर दिया गया था। आपराधिक मामले की जांच के बाद, धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट दी गई थी। तब से प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ भी संबंधित एफआईआर में आरोप तय किए गए हैं और अब अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले की तारीख 24

सितंबर, 2007 तय की गई है। उपरोक्त आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को विभागीय जांच करने के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 का आरोप पत्र दिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विभागीय जांच जारी रखना याचिकाकर्ता के अपराध का पूर्व-निर्णय करने के समान होगा, जो आपराधिक मामले में स्थापित किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है, तो वह अपने बचाव में खुलासा करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, आरोप पत्र (अनुलग्नक पी-1) के समर्थन में उद्धृत प्रमुख गवाह वही हैं जो आपराधिक मामले में गवाहों की सूची में उद्धृत किए गए हैं। यह दलील देते हुए कि विभागीय जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है, यह तर्क दिया गया है कि आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान इसे रद्द किया जा सकता है और किसी भी मामले में रोक लगाई जा सकती है।

(4) याचिकाकर्ता के रुख का खंडन करते हुए, उत्तरदाताओं ने अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्यवाही एक साथ चल सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने तक विभागीय कार्यवाही रोक दी जाए। दोनों कार्यवाही समान आरोपों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं। अन्यथा

भी, केवल यह तथ्य कि आरोप समान थे, दोनों कार्यवाही को साथ-साथ जारी रखने में बाधा नहीं थी।

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और हमारे सामने रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

(6) मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो एक छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल था, पर रुपये मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगाया गया है। सोनू कुमार गुप्ता को गिरफ्तार न करने के लिए अवैध परितोषण के रूप में 5,000 रु. याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया दिखाया गया था। ऐसा करके उन्होंने आम जनता की नजर में पुलिस की छवि खराब की है, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक अनुशासित बल के सदस्य थे।

(7) आपराधिक प्रकृति के मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां याचिकाकर्ता को अवैध परितोषण की मांग करते हुए और प्राप्त करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद, उससे बरामद किया गया था, यह निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है कि याचिकाकर्ता का बचाव सही है केवल इसलिए पक्षपातपूर्ण होने की संभावना है क्योंकि उसे विभागीय जांच में उन तथ्यों का खुलासा करना पड़ सकता है, जिन्हें वह आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रकट करना चाहता है। इसी प्रकार, कदाचार का आरोप भी साबित किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए अपने बचाव का खुलासा करना आवश्यक नहीं

होगा। इसके अलावा, किसी भी मामले में, विभागीय और आपराधिक दोनों कार्यवाही में सबूत का मानक पूरी तरह से अलग है।

(8) राजस्थान राज्य बनाम बी.के. मीना और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती और न ही लगाई जानी चाहिए। . अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि जिन आपराधिक मामलों में उच्च अधिकारी या उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति शामिल होते हैं, वे आपराधिक मामलों को अंतहीन रूप से खींचते रहते हैं। यदि किसी आपराधिक मामले में अनावश्यक देरी होती है तो यह अनुशासनात्मक जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा आधार हो सकता है, भले ही अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले चरण में ही रोक दी गई हो। प्रशासन और अच्छी सरकार के हित की मांग है कि इन कार्यवाहियों को शीघ्रता से पूरा किया जाए। प्रशासन के हित की मांग थी कि अवांछनीय तत्वों को बाहर निकाला जाए और दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की तुरंत जांच की जाए। अनुशासनात्मक कार्यवाही का उद्देश्य न केवल दोषियों को दंडित करना था, बल्कि बुरे तत्वों से छुटकारा दिलाकर प्रशासनिक तंत्र को निष्कलंक रखना था। इसके अलावा, अपराधी अधिकारी का हित भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के शीघ्र समापन में निहित है। यदि वह आरोपों के लिए दोषी नहीं था, तो उसके सम्मान की जल्द से जल्द पुष्टि की जानी

चाहिए और यदि वह दोषी था, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

9) नोएडा ए एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा और अन्य (2) में कैप्टन एम. पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का हवाला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया।

(3) कुछ तथ्य स्थितियों का संकेत दिया गया है जो इस प्रश्न को नियंत्रित करेंगे कि क्या किसी आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। विभिन्न निर्णयों से जो निष्कर्ष निकाले गए, उन्हें कैप्टन एम. पॉल एंथोनी के मामले (सुप्रा) में पैरा 22 में संक्षेप में देखा गया। इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"(i) किसी आपराधिक मामले में विभागीय कार्यवाही और कार्यवाही एक साथ चल सकती है क्योंकि उन्हें अलग-अलग होते हुए भी एक साथ चलाने पर कोई रोक नहीं है।

(ii) यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित है और अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसमें कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, तो

यह वांछनीय होगा आपराधिक मामले के निष्कर्ष तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाएं।

(iii) क्या किसी आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है और क्या उस मामले में तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, यह अपराध की प्रकृति, आधार पर कर्मचारी के खिलाफ शुरू किए गए मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जांच के दौरान उसके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री या जैसा कि आरोप-पत्र में दर्शाया गया है।

(iv) ऊपर (ii) और (iii) में उल्लिखित कारकों को विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अलग से नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती है।

(v) यदि आपराधिक मामला आगे नहीं चल रहा है या उसका निस्तारण नहीं हो रहा है

अनुचित रूप से विलंबित होने पर, विभागीय कार्यवाही, भले ही उन्हें आपराधिक मामले की लंबितता के कारण रोक दिया गया हो, फिर से शुरू की जा सकती है और उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि यदि कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसका सम्मान किया जा सके।

दोषमुक्त किया जाए और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो प्रशासन उसे जल्द से जल्द छुटकारा दिला सकता है।"

(10) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। आपराधिक न्यायालय के समक्ष अपराधी अधिकारी के बचाव में पूर्वाग्रह केवल एक कारक है। यह भी आवश्यक होगा कि आरोप समान हों और मामले में कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हों। जब वर्तमान मामले के तथ्यों पर राजस्थान राज्य के मामले (सुप्रा) और नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है, तो हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता कोई भी मामला बनाने में विफल रहा है। उनके द्वारा प्रार्थना की गई राहतों के अनुदान के लिए।

(11) ऊपर उल्लिखित कारणों से, याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा